


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

या..... 37 ..... सन् 18 ..... किस्म मुकदमा 213 .....  
 व. लि. ..... बनाम ..... इगट वीट व के.

आदेशिका

30<sup>5</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में वार  
 वार आवाने लगवाया गया परन्तु वही क  
 उम्मे अधिवक्ता को उपस्थित नहीं हुए।  
 लिहाजा उक्त अधवक्ता/ अधवक्ता  
 में खारीज सिफ पत्रावली पत्रावली पेश  
 हुआ है 30 नवंबर से वक्त है। निर्णय  
 खुले न्यायालय में हुआ था।



  
 सहायक कलेक्टर  
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़  
 जिला-राजसमन्द

